भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2903**

**बुधवार, 21 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**नए उद्योगों का शुरू किया जाना**

**अता.प्र.सं. 2903. श्री माजीद मेमनः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि अगले वर्ष नई औद्योगिक नीति निर्गत की जाएगी जो औद्योगिक नीति 1991 में व्यापक बदलाव करेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) ने अगले दो दशकों तक रोजगार के अवसर सृजित करने, विदेशी प्रौद्योगिकी अंतरण को प्रोत्साहित करने और वार्षिक रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अगस्त 2017 में प्रारूप औद्योगिक नीति जारी की थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की नई औद्योगिक नीति में मौजूदा समय में केन्द्र में बने नए उद्योगों को शुरू करने की योजना है, यदि हां, तो उद्योग-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी. आर. चौधरी)**

**(क) से (ग):** जी, हां। सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है और औद्योगिक निकायों, शिक्षाविदों, विद्वानों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति में कौशल, बढोत्‍तरी और प्रौद्योगिकी के साथ एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग के सृजन की परिकल्पना की गई है। इसके उद्देश्‍यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना; एक नवाचार संचालित अर्थव्‍यवस्‍था का निर्माण करना; उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना; विशेष रूप से एमएसएमई के लिए किफायती पूंजी हेतु वर्धित पहुंच प्रदान करना; व्यापार और विनिर्माण के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना; कौशल विकास को बढ़ाना और व्यापार करने को आसान बनाना शामिल हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*